

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक
निर्माण मूल्यांकन सूची दर क्रमांक
आर०सी०सी० की छत मार्बल फर्श
स्टाम्प का कुल योग / -
लेखपत्र का प्रकार - **बैनामा**
भूमि का प्रकार - **आवासीय**
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित / -
मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य / -
विक्रय मूल्य / -
मौजा - **नयागॉव**
आबादी - **सुरिन्दर पंचवटी**
सम्पत्ति का प्रकार - **रिहायशी फ्लैट**
मापन की इकाई - **वर्गमीटर**
भूमि का अनुपातित अंश **वर्गमीटर**
सम्पत्ति का विक्रित क्षेत्रफल **वर्गमीटर**
आच्छादित क्षेत्रफल **वर्गमीटर**
फ्लैट नं०
स्थिति - **पूर्ण फिनिस्ड**
सड़क की स्थिति - दतिया गेट रेलवे क्रासिंग से नालन्दा ओम गार्डन नामक कॉलोनी जाने वाली सुरिन्दर पंचवटी कॉलोनी में मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है।

चौहद्दी -
पूरब -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -
प्रथम पक्ष की संख्या - **एक**
द्वितीय पक्ष की संख्या - **एक**
नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष -

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष -

सम्पत्ति का विवरण - एक किता आवासीय मकान नं० वाकै मौजा नयागॉव आबादी सुरिन्दर पंचवटी तहसील व जिला झाँसी जिसकी कुल नाप वर्गमीटर है जिसमें 3 कमरे, 1 हॉल, 2 बाथरूम, 1 स्टोर रूम, 1 बरामदा, 1 किचन, दो बालकनी व 1 वॉशरूम आर०सी०सी० की छत मार्बल फर्श के निर्मित हैं जिनका कवर्ड एरिया वर्गमीटर है जो फर्श लेवल से इंच की ऊँचाई तक वय किया गया है। विक्रित फ्लैट दतिया गेट रेलवे क्रासिंग से नालन्दा ओम गार्डन नामक कॉलोनी जाने वाली सुरिन्दर पंचवटी कॉलोनी में मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है। विक्रित फ्लैट जिस इमारत में स्थित है वह इमारत तीन मंजिला तामीर है जिसमें कोई बेसमेन्ट नहीं बना है। बहुमंजिला भवन में निहित भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर है तथा फ्लैट का विक्रित क्षेत्रफल वर्गमीटर है तथा बहुमंजिला भवन में निर्मित कुल आच्छादित क्षेत्रफल वर्गमीटर है। इस प्रकार विक्रित फ्लैट के हिस्से में आने वाली भूमि का अविभाजित अंश वर्गमीटर है। दस्तावेज हाजा के साथ फ्लैट मुवैया का नक्शा स्केली संलग्न है जिसमें विक्रित फ्लैट वरंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित फ्लैट नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है उक्त भूखण्ड विक्रेता ने जरिये बैनामा दिनांक से खरीद किया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में वही संख्या

I जिल्द के पृष्ठ पर क्रम संख्या दिनांक दर्ज है। विक्रित फ्लैट जिस इमारत में स्थित है वह इमारत सुरिन्दर पंचवटी नामक कॉलोनी में स्थित है जिसका लेआउट प्लान सं० झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी द्वारा स्वीकृत किया गया है। दस्तावेज हाजा में उ०प्र० सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं०वि०क०नि० -5-2756/11-2008- दिनांक, 30 जून '2008 के अनुसार द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रय मूल्य - पूर्व प्राप्त कर लिया है।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा

निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त फ्लैट का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है। अतः मैं विक्रेता अपना उपरोक्त फ्लैट वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करता हूँ कब्जा दखल मालिकाना फ्लैट मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूवी करा दिया है अधिकार क्रेता फ्लैट मुवैया में स्वयं आवाद हो या किराये पर देवें। सरकारी कागजातों में बतौर मालिकाना नाम दर्ज कारगजात करावें वय हिवा रहिन आदि करें। क्रेता का विक्रित फ्लैट के ऊपर के तल व नीचे के तल पर स्थित भाग से कोई वास्ता व सरोकार नही होगा अर्थात् विक्रित भाग के ऊपर के भाग व नीचे के भाग पर स्वामित्व विक्रेता का रहेगा। इमारत में स्थित अन्य फ्लेट्स पर आने-जाने हेतु जो रास्ता है वह किसी प्रकार से न तो अवरुद्ध करेगा और न ही अतिक्रमित करेगा। क्रेता क्रय किये गये फ्लैट की छत व फर्श में कोई छोटा व बड़ा परिवर्तन इस प्रकार नही करेगा जिससे विक्रेता की वह इमारत जिस पर आधारित होकर उक्त फ्लैट बना है, क्षतिग्रस्त हो। क्रेता के ऐसे बेजा कार्य जिसकी वजह से विक्रित फ्लैट के ऊपर की सम्पत्ति को किसी प्रकार की छति होती है तो उसके समस्त हर्जे व खर्चे के जिम्मेदार क्रेता व कायम मुकामान क्रेता व वारिसान क्रेता होंगे। क्रेता क्रय किये गये फ्लैट में कोई वाणिज्यिक गतिविधियां नही करेगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है जो भी तथ्य हैं सही-सही पूरे-पूरे वर्णित किये गये हैं क्रेता ने स्वामित्व सम्बन्धी सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है क्रेता फ्लैट से संतुष्ट होकर फ्लैट क्रय कर रहा है यानि बैनामा करा रहा है, विक्रेता ने इससे पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को इकरारनामा, बैनामा आदि नहीं किया है उक्त विक्रित फ्लैट पूर्णरूप से आवासीय है तथा जिस इमारत में यह विक्रित फ्लैट स्थित है वह इमारत पूर्ण रूप से आवासीय है। विक्रित फ्लैट सरकारी सम्पत्ति नहीं है न ही सरकारी विभाग में बंधक है। यह कि दस्तावेज हाजा का सम्पूर्ण रजिस्ट्री खर्च विक्रेता-क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है। विक्रेता एवं क्रेता ने उक्त दस्तावेज को सुनकर व पढ़कर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की है, काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से फ्लैट मुवैया का कुल या जुज भाग कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल रकम मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार विक्रेता रहेगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये 'की-प्लान' मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

गवाह (1) श्री निवासी-
की पहचान से की गई है। मो०नं० (पेशा-)

गवाह (2) श्री निवासी-
की पहचान से की गई है। मो०नं० (पेशा-)

दिनांक :

प्रारूपकर्ता - दीपक सिंह, एडवोकेट रजि० नं० तहसील झाँसी
टाइपकर्ता -